प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार ने (i) लाभ आधारित नीलामी के जरिए **3,000 करोड़ रुपए** (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए 'नए सरकारी स्टॉक 2022', (ii मूल्यि आधारित नीलामी के जरिए **10,000 करोड़ रुपए** (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए '6.45 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2029', और (iii) लाभ आधारित नीलामी के जरिए **3,000 करोड़ रुपए** (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए 'नए सरकारी स्टॉक 2060' की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या एक से अधिक के लिए 2,करोड़ 000 रुपये की सीमा तक अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा जो कि एक ही नीलामी में अन्य प्रतिभूतियों के तहत सेट ऑफ करके-, अधिसूचित राशि के भीतर या अधिसूचित राशि से अधिक हो सकता है। वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में प्राप्त अतिरिक्त अभिदान राशि 20,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी और इसे 2020-21 की दूसरी छमाही में समायोजित कर दिया जाएगा। यह बिक्री इस अधिसूचना में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगी जिसे)'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है।(इस स्टॉक की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या 4(2)-डब्ल्यू एण्ड एम/2018, तारीख 27 मार्च 2018 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन की जाएगी। ये सभी नीलामियां विविध मूल्य विधि का प्रयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 9 अप्रैल, 2019 (बृहस्पतिवार) को संचालित की जाएंगी।

2. स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यरक्तियोंऔर संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।

3. नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में **9 अप्रैल, 2020** को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से दोपहर 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से मध्याह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4. नीलामियों के परिणाम की घोषणा **9 अप्रैल, 2020 (बृहस्पतिवार)** को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान **13 अप्रैल, 2020 (सोमवार)** को किया जाएगा।

5. ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय समय पर यथा संशोधित परिपत्र दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं0 आरबीआई/2018-19/25, तहत जारी **"केन्द्रतसरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन"** संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार "कब निर्गमित" कारोबार के लिए पात्र होंगे।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 3 अप्रैल, 2020